संख्याः आर०ए०प्रथम / सत्ताईस–1(2009–10) 730 दिनांक: 22·2·11

प्रेषक,

आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल,
फैजाबाद।

सेवा में,

कुल सचिव,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

विषयः **नवीन महाविद्यालय / संस्थान एवं पाठ्यक्रम / विषय की स्थापना / संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके पत्रांक–लो0अ0वि0 / सम्ब0 / ए0एफ0 / 522 / 2010 दिनांक 03.8.2010 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या–2284 / सत्तर–2–2009–2(166) / 2002, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, लखनऊ, दिनांक 29 जून, 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक् विचारोपरान्त **भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, ग्राम व पोस्ट सीबार, सोहावल फैजाबाद को स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 तथा बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम विषयों में** स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है:–

(1) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(2) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थान शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या–3411 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या–193 / सत्तर–2–2003–2(166) / 2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या–585मु.मं. / सत्तर–2–2005–2(166) / 2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 तथा शासनादेश संख्या–743मु.मं. / सत्तर–2–2006–2(166) / 2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएं एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर लेगी।

(3) उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मॉग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।

(4) संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय–भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

(7) मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की मूल प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण के कय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) उक्त पाठ्यकम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित **ग्राम सीवार, परगना मगलसी , तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद के गाटा संख्या 1173/2.487हे0 में से 0.838हे0, 1187क/0.228हे0, 1191क/0.177हे0, 1193/0.161हे0 कुल क्षे0 1.243हे0** भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सम्बद्धता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जायेगा।

(9) ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।

(10) कोई भी सूचना/पत्राजात त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में एन0ओ0सी0 को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(राजीव कुमार)**
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

**प्रतिलिपिः**– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, फैजाबाद।
3– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 8–ए, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, लखनऊ।
5– निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, उच्च शिक्षा।
6– सचिव/प्रबन्धक, भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, ग्राम व पोस्ट सीबार, सोहावल फैजाबाद।
7– गार्ड फाइल।

**(राजीव कुमार)**
आयुक्त।

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

# डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2017 / 3647 दिनांक : 02-3-2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट,
सिवार, सोहावल, फैजाबाद।

**विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0सी0ए0 एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में **भवदीय एजूकेशलनल इंस्टीट्यूट, सिवार, सोहावल, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0सी0ए0 पाठ्यकम तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यकम** में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय का सत्र 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप एवं सामूहिक नकल में आरोपित न होने, प्रबन्ध समिति तथा प्राचार्य एवं समस्त प्राध्यापकों के अनुमोदन के दृष्टिगत् महाविद्यालय को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनॉकः 01.07.2016 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
2. महाविद्यालय / संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. महाविद्यालय / संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. शासनादेश के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
5. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हे विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा। अनुमोदित शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगे।

भवदीय

कुलसचिव

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1 परीक्षा नियन्त्रक / वित्त अधिकारी / उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

# डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2017 / 3646

दिनांक : 02–03–2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट,
सिवार, सोहावल, फैजाबाद।

विषय : महाविद्यालय को बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में सम्बद्धता समिति की संस्तुति दिनांक 08.05.2016 के क्रम में कुलपति महादेय के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में भवदीय एजूकेशलनल इंस्टीट्यूट, सिवार, सोहावले, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम 100 सीट (2 यूनिट) को शैक्षिक सत्र 2014–15 में संचालित किये जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुति एवं सम्बद्धता प्रस्ताव में संलग्न प्रमाणित अभिलेखों एवं अंकित मानकों/विवरणों के सत्यापन के अधीन निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दिनॉकः 01.07. 2016 से बी0एड0 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

1. महाविद्यालय/संस्था इंगित कमियों यथा–प्रबन्ध समिति अनुमोदित नही है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य/ विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर कार्यभार ग्रहण कराकर, नियुक्ति पत्र/कार्यभार ग्रहण करने का पत्र एवं अनुबन्ध पत्र की एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण एवं माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है ।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठयक्रम मे एन0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र मे होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा मे सम्मिलित एवं काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धरित समस्त मानकों को सम्यक रूप पूर्ण करेगी तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी। यह सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुमोदन के अधीन है।
5. महाविद्यालय/संस्था शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. शासनादेश के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
9. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हे विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा। अनुमोदित शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगे।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1 परीक्षा नियन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।
2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

फोनः 05278 245957
फैक्सः 05278 248123

# डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

पत्रांकः लो0अ0वि0/सम्ब0/2017/181 दिनांक :29-06-2017

## सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश **दिनॉक 29-06-2017** के अनुपालन में **भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, सीवार, सोहावल, फैजाबाद** को **स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत** भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में **बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एससी0 गृहविज्ञान पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर कृषि संकाय के अन्तर्गत बी0एससी0 कृषि पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0लिव0 पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0पी0ई0 पाठ्यक्रम** तथा **स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम** स्ववित्तपोषित योनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 से **क्रमशः आगामी चार एवं तीन वर्षो** हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. **संस्था/महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर के याचित पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार शिक्षक अनुमोदन प्रवेश/कक्षा संचालन के पूर्व कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सत्र 2017-18 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। महाविद्यालय द्वारा उक्त आशय का शपथ पत्र एक सप्ताह के अन्दर कुलसचिव के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय मे समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राल्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
7. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनॉक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनॉक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनॉक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, **भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, सीवार, सोहावल, फैजाबाद।**
4. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग-इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

(संजय कुमार)
कुलसचिव